## न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट / सत्र न्यायाधीश, नैनीताल।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–10 सन् 2020

राज्य बनाम– दिनेश चन्द्र सती।

**:आरोप:**

मैं कि श्रीमती सुजाता सिंह, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट / सत्र न्यायाधीश, नैनीताल आप अभियुक्त **दिनेश चन्द्र सती** को निम्न प्रकार से आरोपित करती हूॅं:–

**प्रथम**, यह कि आप अभियुक्त दिनेश चन्द्र सती द्वारा दिनांक 08–08–2020 को समय सुबह 01:24 से 05:30 बजे के मध्य किसी समय स्थान वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल में वादिनी मुकदमा माधवी सागर व उसके भाई अवनीश सागर की दुकान का ताला तोडकर दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–457 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीय:** यह कि दिनांक 07–08–2020 को रात्रि 10:30बजे स्थान वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल में आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की दुकान, जो तत्समय वादिनी की किरायेदारी में थी, के आगे डम्पर से आर.बी.एम. डलवाया व इस प्रकार वादी मुकदमा व उसके भाई को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से दुकान का ताला तोडकर सामान बाहर फेंक दिया, जिसे दिनांक 07 / 08–08–2020 की रात्रि 1:24 बजे चौकी पीरुमदारा की पुलिस गश्तपार्टी द्वारा देखने पर वादिनी मुकदमा को उसकी सूचना मोबाइल पर दी गयी, जिस पर वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन सुबह मौके पर आये तो आपने वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन को गाली गलौज करते हुए जे0सी0बी0 से मकान व दुकान को तोडने की धमकी दी तथा वादिनी मुकदमा की दुकान का ताला तोडकर दुकान में रखा सामान बाहर फेंक कर वादिनी मुकदमा व उसके भाई को 5–6 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान

पहुंचाया, उनकी किरायेदारी की दुकान के सामान का नुकसान किया और दुकान के बाहर आर.बी.एम. डाल कर दुकान की उपयोगिता नष्ट/कम की गयी, इस प्रकार वादी मुकदमा को स्वयं द्वारा रिष्टि कारित कर पचास रुपये से अधिक की हानि पहुंचाई। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–427 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः** यह कि दिनांक 08–08–2020 को समय 5:30 बजे प्रातः स्थान वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा माधवी सागर व उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–506 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**चतुर्थः** यह कि दिनांक 08–08–2020 की प्रातः 5:30 बजे स्थान वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल में जब वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन मौके पर आये तो आप द्वारा अपनी लाईसेंसी पिस्टल, जिसकी नवीनीकरण की तिथि दिनांक 20–04–2020 तक ही वैध थी, को लहराते हुए वादिनी मुकदमा व उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो धारा–30 आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**पंचमः** यह कि दिनांक 08–08–2020 को समय 5:30 बजे प्रातः स्थान वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल में आप अभियुक्त जो स्वयं अनुसूचित जाति के नहीं हैं, के द्वारा अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा माधवी सागर व उसके परिवारजनों को अपमानित करने के आशय से लोकदृष्टि में आने वाले स्थान, वादिनी मुकदमा द्वारा किराये पर ली गयी दुकान के सामने जातिसूचक शब्द कहकर एवं गाली गलौज कर उन्हें अपमानित व अभित्रस्त किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो धारा–3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**षष्टमः** यह कि दिनांक 08–08–2020 को समय 5:30 बजे प्रातः स्थान

वादिनी मुकदमा माधवी सागर की दुकान बांके ग्राम गंगापुर पीरुमदारा, रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल में आप अभियुक्त जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं, ने अनुसूचित जाति की महिला माधवी सागर को एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट की अनुसूची में उल्लेखित अपराधिक अभित्रास के अपराध को कारित करने के आशय से वादिनी मुकदमा की किरायेदारी की दुकान के बाहर डम्पर से आर.बी.एम. डालवाया, उसकी दुकान का सामान ताला तोडकर बाहर फेंक दिया और जब वह मौके पर अपने परिवाजन के साथ पहुंची तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो धारा–3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों के लिए इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 05–06–2023

।सुजाता सिंह।
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट /
सत्र न्यायाधीश,नैनीताल।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त द्वारा आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांकः 05–06–2023

।सुजाता सिंह।
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट /
सत्र न्यायाधीश,नैनीताल।